भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1254

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि भूमि का विस्तार

1254. **श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकरः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान देश में कृषि भूमि कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि भूमि के विस्तार और कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): नवीनतम प्रकाशित 'भू-उपयोग सांख्यिकी-एक झलक 2012-13 से 2021-22' के अनुसार, देश में कृषि भूमि का क्षेत्रफल 2018-19 में 180.62 मिलियन हेक्टेयर से बहुत कम गिरावट के साथ 2021-22 में 180.11 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। तथापि, भारत के संविधान की सांतवी अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है अत: राज्य सरकारों को कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि उपयोग हेतु परिवर्तन को रोकने के लिए उचित उपाय करने होते हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों तथा बजटीय प्रावधान से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राष्ट्रीय किसान नीति- 2007 (एनपीएफ-2007) के अंतर्गत राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों सहित गैर-कृषि विकासपरक गतिविधियों के लिए कम जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे अकृष्य भूमि, क्षारियता, अम्लीयता इत्यादि से प्रभावित भूमियों को चिन्हित करे। राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 (एनआरआरपी-2007) में भी सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो परियोजनाओं की स्थापना बंजर भूमि, अवनत भूमि अथवा असिंचित भूमि पर की जाए। गैर कृषि उपयोग हेतु सिंचित, बहु-फसलीय कृषि भूमि का कम से कम अधिग्रहण हो या जहां तक संभव हो अधिग्रहण न किया जाए।

(ग) और (घ): सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और किसानों के विकास के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासपरक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और

कार्यान्वित किया है। सरकार के निम्नलिखित प्रयासों में सहायता हेतु बजट में अभूतपूर्व वृद्धि के प्रावधान किए गए है:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर निर्धारित करना
5. देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देना
6. पर ड्रॉप मोर क्रॉप
7. सूक्ष्म सिंचाई निधि
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि मशीनीकरण
11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करना
12. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) विस्तार मंच की स्थापना
13. खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम का शुभारंभ
14. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
15. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल का शुभारंभ।
16. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम
17. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण
18. कृषि एवं कृषि संबद्ध जिंसों के निर्यात में उपलब्धि
19. केंद्रीय क्षेत्र की योजना नमो ड्रोन दीदी

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र राज्य सहित देश में कुल फसलीकृत क्षेत्र इसी अवधि में 201.18 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 219.16 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में खाद्यान्न उत्पादन भी वर्ष 2018-19 के दौरान 2,852.09 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 3,288.52 लाख टन हो गया है। कृषि भूमि, फसलीकृत क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन का राज्य-वार विवरण अनुबंध I और II में दिया गया है।

अनुबंध-I

कृषि भूमि के विस्तार के संबंध में दिनांक 30/07/2024 को उत्तर के लिए देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1254 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध-I

राज्य-वार एवं वर्ष-वार कृषि भूमि एवं फसलीकृत क्षेत्र (000 हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**कृषि भूमि/कृषि योग्य भूमि/कृषि योग्य भूमि/खेती योग्य भूमि**				**कुल फसलीकृत क्षेत्र**			
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	8997	8828	8817	8987	7297	7287	7407	7328
अरुणाचल प्रदेश	424	424	431	431	320	320	328	338
असम	3305	3296	3295	3321	4004	3975	3888	3872
बिहार	6573	6557	6541	6542	7406	7297	7265	7329
छत्तीसगढ़	5570	5551	5542	5552	5614	5735	5712	5704
गोवा	197	141	141	141	150	147	147	144
गुजरात	12397	12388	12462	12428	12233	13816	14722	14759
हरियाणा	3817	3794	3847	3847	6605	6617	6566	6566
हिमाचल प्रदेश	816	821	821	831	914	892	899	890
झारखंड	4319	4280	4319	4324	1824	1760	1803	1845
कर्नाटक	12830	12843	12846	12836	13551	13831	14910	14748
केरल	2235	2232	2229	2223	2571	2586	2569	2523
मध्य प्रदेश	17121	17183	17449	17432	26115	28277	29903	30049
महाराष्ट्र	20719	20589	20509	20466	22194	23856	24917	25730
मणिपुर	448	338	417	399	441	331	410	393
मेघालय	1011	1010	1010	1015	312	313	309	325
मिजोरम	367	367	367	367	187	195	206	206
नागालैंड	678	676	674	672	529	530	532	319
ओडिशा	6675	6699	6654	6782	4527	4670	4819	4997
पंजाब	4233	4238	4237	4225	7851	7838	7835	7916
राजस्थान	25484	25475	25473	25463	25313	27515	26100	27442
सिक्किम	97	97	97	97	162	162	140	140
तमिलनाडु	8109	8108	8106	8105	5672	5942	6156	6348
तेलंगाना	6767	6785	6717	6715	5774	7479	8479	8026
त्रिपुरा	270	270	270	270	487	487	487	487
उत्तराखंड	1548	1545	1544	1541	1029	1024	997	969
उत्तर प्रदेश	18775	18614	18614	18264	26859	27109	27109	28200
पश्चिम बंगाल	5615	5608	5602	5595	9960	10100	10207	10259
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28	28	28	28	41	46	40	39
चंडीगढ़	1	1	1	1	1	3	2	2
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव		23	23	23		23	23	23
दादरा एवं नगर हवेली	20				20			
दमन और दीव	3				3			
दिल्ली	53	53	53	53	59	58	58	58
जम्मू एवं कश्मीर	1091	1071	1074	1075	1124	1090	1112	1134
लद्दाख		28	28	28		22	22	22
लक्षद्वीप	3	2	2	2	3	2	2	2
पुदुचेरी	28	28	28	28	27	27	27	28
अखिल भारत	**180624**	**179992**	**180266**	**180112**	**201179**	**211359**	**216107**	**219158**

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

अनुबंध-II

कृषि भूमि के विस्तार के संबंध में दिनांक 30/07/2024 को उत्तर के लिए देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1254 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध-II

वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक खाद्यान्नों का राज्य-वार उत्पादन

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.12	0.18	0.14	0.14	0.11	एनए
2	आंध्र प्रदेश	108.39	123.57	112.99	110.77	121.49	104.34
3	अरुणाचल प्रदेश	3.65	3.73	3.77	3.88	3.93	एनए
4	असम	54.66	52.36		46.78	59.45	54.61
5	बिहार	156.00	142.33	153.83	170.18	183.43	200.43
6	चंडीगढ़	0.00	0.07	0.03	0.03	0.03	एनए
7	छत्तीसगढ़	75.59	75.02	82.26	90.24	108.93	107.02
8	दादरा और नगर हवेली	0.36	0.40	0.34	0.34	0.38	एनए
9	दमन और दीव	0.02	0.03	0.04	0.04	0.00	एनए
10	दिल्ली	1.06	1.06	1.12	1.07	1.06	एनए
11	गोवा	1.05	0.94	0.91	0.93	0.92	एनए
12	गुजरात	68.04	81.53	89.74	101.31	98.75	100.79
13	हरियाणा	181.45	178.63	183.09	163.30	173.93	184.51
14	हिमाचल प्रदेश	15.01	15.30	15.36	16.07	14.79	15.54
15	जम्मू और कश्मीर	18.93	16.71	15.95	16.78	17.63	एनए
16	झारखंड	44.00	47.92	48.72	50.01	31.66	35.62
17	कर्नाटक	108.88	127.84	145.50	137.77	141.81	127.31
18	केरल	5.81	6.08	6.36	4.89	5.98	7.01
19	लद्दाख	0.00	0.00	0.12	0.30	0.25	एनए
20	मध्य प्रदेश	322.09	335.23	328.44	393.08	419.32	398.43
21	महाराष्ट्र	103.04	128.20	157.66	166.56	167.26	145.26
22	मणिपुर	4.95	4.21	6.97	6.55	4.43	एनए
23	मेघालय	2.61	3.61	3.53	3.55	3.39	एनए
24	मिजोरम	0.77	0.76	0.81	0.78	0.63	एनए
25	नागालैंड	5.58	5.65	5.70	2.53	5.14	एनए
26	ओडिशा	83.15	90.30	95.24	101.25	90.73	110.00
27	पुदुचेरी	0.64	0.60	0.51	0.58	0.66	एनए
28	पंजाब	315.32	298.57	304.18	282.52	302.36	325.86
29	राजस्थान	212.89	232.27	242.82	216.63	238.09	231.95
30	सिक्किम	0.92	0.92	0.92	0.91	0.83	एनए
31	तमिलनाडु	103.90	112.70	108.24	119.98	116.80	92.67
32	तेलंगाना	92.75	111.25	127.46	153.49	193.75	198.37
33	त्रिपुरा	8.36	8.53	8.68	8.71	8.42	एनए
34	उत्तर प्रदेश	546.43	561.69	581.07	561.88	575.09	592.91
35	उत्तराखंड	18.76	18.86	20.02	19.24	17.71	17.34
36	पश्चिम बंगाल	186.90	187.94	200.05	203.08	187.74	188.18
	अन्य						50.39
	अखिल भारत	**2852.09**	**2975.04**	**3107.42**	**3156.16**	**3296.87**	**3288.52**

वर्ष 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमानों हेतु आंकड़ा।

एनए: उपलब्ध नहीं। अन्य में लघु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

*****